निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1937 (श0)

(सं0 पटना 548) पटना, वृहस्पतिवार, 7 मई 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना

2 मार्च 2015

सं0 1669—श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम–बहुअरवा, पोस्ट–परसा, थाना–किशनपुर, जिला–सुपौल के संबंध में पर्षद को जानकारी मिली कि यह एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें अष्टधातु की बहुमूल्य प्रतिमा स्थापित है। इससे संबंधित कोई जानकारी संचिका पर उपलब्ध नहीं होने के कारण पर्षदीय पत्रांक 1228 दिनांक 17.09.2012 द्वारा न्यास के संबंध में छानबीन कर मंदिर की वर्त्तमान स्थिति एवं स्वरूप के बारे में एक प्रतिवेदन देने का आग्रह अंचल अधिकारी, किसनपुर, जिला–सुपौल से किया गया। अंचल अधिकारी, किसनुपर, जिला–सुपौल ने अपने पत्रांक 286/सपत्र, दिनांक 12.04.2013 द्वारा पर्षद को सूचित किया कि वर्त्तमान समय में श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी एक कमरे में अवस्थित है, जिसमें श्री रामजानकी की मूर्ति, श्री कृष्णजी एवं श्री लक्ष्मी, माँ काली की मूर्ति स्थापित है। साथ हीं श्री श्री 108 रामजानकी सेवायत प्रबंधक कमिटी के नाम से रकवा 1.10 डी0 (एक एकड़ दस डिसिमल) की जमाबन्दी चलती है। इन्होने श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, बहुअरवा को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित करने की अनुशंसा भी की। उक्त अनुशंसा के आलोक में पर्षद ने इस न्यास को सार्वजनिक धार्मिक न्यास मानते हुए इस न्यास का निबंधन पर्षद में किया गया जिसकी निबंधन संख्या–4279 है।

इसकी व्यवस्था के लिए श्री राम प्रसाद शर्मा द्वारा ग्यारह सदस्यों का नाम पर्षद में प्रस्तावित किया गया। श्री राम प्रसाद शर्मा द्वारा प्राप्त सूची को अंचल अधिकारी, किसनपुर, जिला–सुपौल को भेजते हुये उनसे उक्त सूची में अंकित नामों का चरित्र सत्यापन कर प्रतिवेदन भेजने का आग्रह पर्षदीय पत्रांक 939 दिनांक 15.10.2014 द्वारा किया गया। उक्त पत्र के अनुपालन में अंचल अधिकारी, किसनुपर, जिला–सुपौल ने अपने पत्रांक 772 दिनांक 11.12.2014 में लिखा कि न्यास समिति गठन हेतु प्रस्तावित कुल 11 (ग्यारह) व्यक्तियों के चरित्र का जाँच किया जो सही पाया तथा उक्त व्यक्ति ठाकुरबाड़ी के सम्पत्ति से लाभांन्वित नहीं है। इसके आलोक में न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम–बहुअरवा, पोस्ट–परसा, थाना–किशनपुर, जिला–सुपौल की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है, तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, बहुअरवा, न्यास योजना''** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, बहुअरवा, न्यास समिति''** होगी जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 02.03.2015 से पॉच वर्षो का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1)	श्री राम प्रसाद शर्मा, पिता–स्व0 पंचु शर्मा	–	अध्यक्ष
(2)	श्री नबु शर्मा, पिता–स्व0 फुचैन शर्मा	–	सचिव
(3)	श्री मदन मेहता, पिता–स्व0 बौआ मेहता	–	कोषाध्यक्ष
(4)	श्रीमती राजकुमारी देवी, पति–उपेन्द्र मंडल	–	सदस्य
(5)	श्रीमती बाबादाय देवी, पति–कदमलाल कामत	–	सदस्य
(6)	श्री सियाराम राम, पिता–श्री भुलर राम	–	सदस्य
(7)	श्री रामफल शर्मा, पिता–स्व0 कारी शर्मा	–	सदस्य
(8)	श्री जगदीश मेहता, पिता स्व0 रामजी मेहता	–	सदस्य
(9)	श्री दीपनारायण शर्मा, पिता स्व0 चौठी शर्मा	–	सदस्य
(10)	श्री लालबहादुर शर्मा, पिता–सत्य नारायण शर्मा	–	सदस्य
(11)	श्री देवनारायण मंडल, पिता–स्व0 यदु मंडल	–	सदस्य

सभी निवासी ग्राम–बहुअरवा, पोस्ट–परसा, भाया–पिपरा बाजार, थाना–किशनपुर, जिला–सुपौल।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 548-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in